

[2025] 12 S.C.R. 560 : 2025 INSC 1399

गोविंद मण्डावी

बनाम

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय

(दाण्डिक अपील सं. 5315/ 2025)

08 दिसम्बर, 2025

[विक्रम नाथ एवं संदीप मेहता,* न्यायाधीशगण]

विचारार्थ विवादक

क्या विचारण न्यायालय के साथ- साथ उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन करते हुए और अभियुक्त- अपीलार्थी को भा.द.वि. की धारा 302 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत अधिकथित अपराधों के लिए सिद्धदोष करते हुए तथ्यों के साथ-साथ विधि में भी गंभीर त्रुटियां कारित की?

शीर्ष टिप्पण

दण्ड संहिता, 1860 - धारा 302 सहपठित धारा 34 - अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 - धारा 3 (2)(v) - बिवन को नकाबपोश व्यक्तियों द्वारा मार दिया गया था - प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज की गई थी - प्रथम सूचना प्रतिवेदन के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि सूचना देने वाला - अ.सा.-1 घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं था बल्कि घटना के बारे में उसका ज्ञान पूरी तरह से अ.सा.-2, उसकी बहू और मृतक बिवन की पत्नी द्वारा उसे दी गई जानकारी पर आधारित था - घटना के चार दिनों के बाद, अ.सा.-2 ने अपना कथन द.प्र.सं. की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज कराया और पहली बार उसके द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि उसके पति पर हमले के दौरान एक हमलावर का नकाब निकल गया था और इस प्रकार, वह उक्त हमलावर की पहचान अपीलार्थी के रूप में करने में सक्षम थी - अन्वेषण अधिकारी, अ.सा.-14 ने अभियुक्त- अपीलार्थी के साथ-साथ दो सह-अभियुक्तों को

गिरफ्तार किया - उनके प्रकटीकरण/ मेमोरेण्डम कथनों के आधार पर बरामदगी की गई - अभियुक्त- अपीलार्थी की पहचान कार्यवाही (टी. आई. पी.) कराई गई और कथित रूप से अ.सा.-2 द्वारा उसकी पहचान की गई - विचारण न्यायाधीश ने तीनों अभियुक्तों को सिद्धदोष किया गया और दण्डादेश दिया गया - उच्च न्यायालय ने अभियुक्त- अपीलार्थी की दोषसिद्धि की पुष्टि की जबकि शेष दो सह-अभियुक्तों की दोषसिद्धि को अपास्त कर दिया - शुद्धता :

अभिनिर्धारित : एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जो निर्विवाद बना हुआ है, वह अभियोजन पक्ष के साक्षियों (अ.सा.-1 और अ.सा.-2) और अभियुक्त- अपीलार्थी के मध्य पूर्व शत्रुता के बारे में है - यह एक स्वीकृत स्थिति है कि मृतक- बिवन के साथ अ.सा.-2 की वर्तमान विवाह के जारी रहते हुए, उसने वर्तमान आरोपी- अपीलार्थी की बहन अ.सा.-6 से शादी की थी, और इस रिश्ते के कारण पक्षों के मध्य गंभीर मतभेद उत्पन्न हो गया था - प्रथम सूचना प्रतिवेदन में, चक्षुदर्शी साक्षी द्वारा कथित रूप से उसकी पहचान करने के बावजूद प्रथम सूचना प्रतिवेदन में एक ज्ञात आरोपी के नाम की तात्त्विक लोप है और यह एक घातक दोष है क्योंकि यह मामले की जड़ तक जाता है - अ.सा.-2 के द.प्र.सं. की धारा 161 के अंतर्गत कथन में आरोपी अपीलार्थी के नाम का देर से परिचय एक स्पष्ट हेरफेर प्रतीत होता है - यदि अ.सा.-2 ने वास्तव में अपने कथन में अभियुक्त- अपीलार्थी का नाम लिया होता तो उसके कहने पर अभियुक्त - अपीलार्थी की पहचान कार्यवाही (टी. आई. पी.) आयोजित करने का कोई औचित्य नहीं था, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि वह स्वीकार करती है कि वह अ.सा.-6 का भाई होने के नाते अभियुक्त को पहले से जानती थी - एक बार जब साक्षी अ.सा.-2 द्वारा अभियुक्त -अपीलार्थी की पहचान किए जाने के तथ्य पर विचार नहीं किया जाता है, तो अपीलार्थी को अपराध से जोड़ने के लिए अभिलेख पर कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं रह जाता है - बरामद की गई वस्तुओं में से कोई भी वस्तु किसी विशेष रक्त समूह के लिए परीक्षण में सकारात्मक नहीं पाई गई, और इसलिए, उसे अपराध से जोड़ा नहीं जा सकता है - इस प्रकार, अभियुक्त-अपीलार्थी को आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। [कण्डिका 28, 43, 45, 47, 48]

उद्धृत किए गए निर्णय विधि

राम कुमार पाण्डेय बनाम मध्य प्रदेश राज्य [1975] 3 एस.सी.आर. 519 : ए. आई. आर. 1975 एस.सी. 1026 - संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

दण्ड संहिता, 1860; दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973; अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

मुख्य शब्दों की सूची

हत्या; प्र.सू.प्र.; पहचान कार्यवाही (टी.आई.पी.); वस्तुओं की बरामदगी; महत्वपूर्ण लोप; हेरफेर; विलंबित बदलाव; हमलावर का नाम; पूर्व शत्रुता; प्रकटीकरण कथन; मेमोरेण्डम कथन; रक्त के धब्बे युक्त सामग्रियाँ; विश्वसनीय साक्ष्य।

प्रकरण उद्धृत

दाण्डिक अपील अधिकारिता : दाण्डिक अपील सं. 5315/2025

दाण्डिक अपील सं. 1298/2023 में उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के 14.01.2025 दिनांकित निर्णय व आदेश से

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलार्थियों की ओर से अधिवक्तागण :

श्रीमती प्रज्ञा बघेल, आजाद बंसाला

प्रत्यर्थी की ओर से अधिवक्तागण :

अभिषेक पाण्डेय, प्रशांत कुमार उमराव

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय /आदेश

निर्णय

मेहता, न्यायाधीश

1. सुना गया।

2. अनुमति दी गई।

3. अपीलार्थी- गोविंद मण्डावी¹, सह-अभियुक्त नरेंद्र नाग और मानसिंह नुरेती (दोनों को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर² द्वारा दोषमुक्त किया गया है) के साथ, 2021 के विशेष दण्ड प्रकरण सं. 65 में विद्वान विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम उत्तर बस्तर, कांकेर³ के समक्ष विचारण किया गया। विचारण के समापन पर, 28 जनवरी, 2023 के निर्णय और आदेश के माध्यम से अभियुक्त- अपीलार्थी और सह-अभियुक्त मानसिंह नुरेती को भारतीय दण्ड विधान, 1860⁴ की धारा 302/34 और 460 के तहत दण्डनीय अपराधों के लिए दोषीसिद्ध किया गया था और उन्हें निम्नलिखित रीति से दण्डादेश दिया गया था :

धारा	दण्डादेश	शास्ति/जुर्माना	जुर्माने के भुगतान में व्यतिक्रम की दशा में दण्डादेश
भा.द.वि. की धारा 302 सहपठित धारा 34	आजीवन कारावास	रु.10,000/-	छह माह का सश्रम कारावास
भा.द.वि. की धारा 460	दस वर्ष का सश्रम कारावास	रु.5000/-	तीन माह का सश्रम कारावास

4. अभियुक्त नरेंद्र नाग को भा.द.वि. की धारा 302/34 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989⁵ की धारा 3(2)(v) के तहत

1 एतस्मितन् पश्चात् "अभियुक्त-अपीलार्थी" के रूप में संदर्भित।

2 एतस्मितन पश्चात् "उच्च न्यायालय" के रूप में संदर्भित।

3 एतस्मितन पश्चात् "विचारण न्यायालय" के रूप में संदर्भित।

4 संक्षेप में 'भा.द.वि.'।

5 संक्षेप में 'अ.जा./ज.जा. अधिनियम'।

दण्डनीय अपराधों का दोषी अभिनिर्धारित किया गया था और उसे निम्नानुसार दण्डादेश दिया गया था :

धारा	दण्डादेश	शास्ति/ जुर्माना	जुर्माने के भुगतान में व्यतिक्रम की दशा में दण्डादेश
भा.द.वि. की धारा 302 सहपठित धारा 34	आजीवन कारावास	रु. 10,000/-	छह माह का सश्रम कारावास
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3 (2) (v)	आजीवन कारावास	रु. 10,000/-	छह माह का सश्रम कारावास

5. अपील में, उच्च न्यायालय ने दो सह-अभियुक्त- नरेंद्र नाग और मानसिंह नुरेती की दोषसिद्धि को अपास्त कर दिया, जबकि अभियुक्त -अपीलार्थी द्वारा दायर दाण्डिक अपील सं. 1298/2023 सहित सामूहिक दाण्डिक अपीलों में पारित 14 जनवरी, 2025 दिनांकित सामान्य निर्णय और आदेश के माध्यम से वर्तमान अभियुक्त- अपीलार्थी की दोषसिद्धि और दण्डादेश को यथावत् रखा।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

6. वर्तमान अपील के निर्णयन हेतु तथ्य संक्षेप में नीचे दिए जा रहें।
7. हीरालाल हिडको (अ.सा.-1) ने 18 अप्रैल, 2021 को सुबह लगभग 7:25 बजे थाना प्रभारी, थाना भानुप्रतापपुर, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ को एक मर्ग सूचना⁶ (मौखिक रिपोर्ट) प्रस्तुत की जिसमें अन्य बातों के साथ यह अधिकथन किया गया कि:-

6 (प्र.P/1)

“मैं ग्राम इरागाँव, दुर्गुपारा का मूल निवासी हूँ, मैं कृषि क्षेत्र में कार्य करता हूँ। हर दिन की दिनचर्या की तरह, 17/04/2021 को मेरा पुत्र बिवन और बहू सुकमई हिडको दोनों खेत की झोपड़ी के अंदर सो रहे थे। लगभग 11:30 बजे मेरी बहू सुकमई घर आई और मुझे बताया कि “2 अज्ञात नकाबपोश व्यक्ति आए जिनमें से एक लंबा था और दूसरा कम ऊँचा और दुबला था और हँसिया पकड़े हुए था। उन्होंने मेरे पति बिवन को पुकारकर जगाया और उसे खेत की झोपड़ी से दूर ले गए, मैंने उनका पीछा किया और दरवाजे पर खड़े हो गई। कुछ देर बाद मेरे पति ने चिल्लाकर कहा, “ऐ दाई!” ओ दाई!” मैं डर गया और भाग गई।” जैसे ही मुझे यह खबर मिली, मैं सहदेव कड़ियाम, कुशल कावड़े और धनाराम अंचल और अन्य लोगों को अपने साथ अपने खेत में ले गया और अपनी टॉर्च की रोशनी में मैंने अपने बेटे बिवन को खून से लथपथ मृत पड़ा पाया। मेरा पुत्र मर चुका है, किसी अज्ञात व्यक्ति ने मेरे बेटे को धारदार हथियार से मार डाला है। आधी रात का समय और यह एक वन क्षेत्र होने के कारण, मैंने अपने बेटे के शव की देखभाल की, और सुबह, मैं यहाँ रिपोर्ट करने आया।”

8. उपरोक्त कथन के आधार पर, प्रथम सूचना प्रतिवेदन⁷ सं. 106/2021, दिनांक 18 अप्रैल, 2021, अज्ञात हमलावरों के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 302/34 के तहत दण्डनीय अपराध के लिए थाना में दर्ज की गई।

9. जाहिर है, प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र. P/2) का परिशीलन यह स्पष्ट करता है कि सूचना देने वाला हीरालाल हिडको (अ.सा.-1) घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं था, बल्कि घटना के बारे में उसका ज्ञान पूरी तरह से श्रीमती , उनकी बहू और मृतक बिवन हिडको की पत्नी, द्वारा उसे दी गई जानकारी पर आधारित था।

7 संक्षेप में ‘प्र.सू.प्र.’; प्र. P/2

10. मृतक की पत्नी और हीरालाल हिडको (अ.सा.-1) की बहू सुकमई हिडको (अ.सा.-2) का दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973⁸ की धारा 161 के तहत कथन 21 अप्रैल, 2021 को अर्थात् घटना के चार दिन बाद दर्ज किया गया था, और उस समय पहली बार इस महिला ने आरोप लगाया था कि उसके पति पर हो रहे हमले के दौरान हमलावरों में से एक का नकाब उतर गया और इस तरह वह उक्त हमलावर की पहचान अपीलकर्ता- गोविंद मण्डावी के रूप में कर पाई।

11. अन्वेषण के दौरान एकत्र की गई सामग्री पर कार्रवाई करते हुए, अन्वेषण अधिकारी, श्री दमोन लाल भौर्या (अ.सा.-14) ने अभियुक्त-अपीलार्थी के साथ-साथ दो सह-अभियुक्तों को 22 अप्रैल, 2021 को विधिवत तैयार किए गए गिरफ्तारी ज्ञापन⁹ के अनुसार गिरफ्तार किया। तीनों अभियुक्तों द्वारा प्रस्तुत किए गए संबंधित प्रकटीकरण/ मेमोरेण्डम कथन¹⁰ के अनुसार आगे बढ़ते हुए, पुलिस ने निम्नलिखित तालिका के अनुसार उनके द्वारा की गई बरामदगी को प्रभावी बनाया:-

अभियुक्त	प्रदर्श	सामग्रियों का विवरण
गोविंद मण्डावी (अभियुक्त अपीलार्थी)	P/15	1. एक मोबाइल फोन। 2. एक कुल्हाड़ी, जिसका उपयोग अपराध कारित करने के लिए किया गया है, जिसमें खून जैसे धब्बे हैं। 3. एक 'हाफ टी-शर्ट' जिसमें

8 संक्षेप में 'द.प्र.सं.'

9 प्र. P/21-23

10 प्र. P/14-16 व 18

		खून जैसे धब्बे हैं। 4. एक 'लोवर' जिसमें खून जैसे धब्बे हैं। 5. एक काला तौलिया जिसमें खून जैसे धब्बे हैं। 6. एक जोड़ी जूते जिनमें खून जैसे धब्बे हैं। 7. रु.500/- नगद।
मानसिंह नुरेती	P/17	1. एक मोटरसाइकिल, जिसका उपयोग अपराध में किया गया है। 2. एक 'टी-शर्ट' जिसमें खून जैसे धब्बे हैं। 3. एक तौलिया जिसमें खून जैसे धब्बे हैं। 4. रु.200/- नगद।
नरेंद्र नाग	P/19	1. एक 'फुल शर्ट' जिसमें खून जैसे धब्बे हैं। 2. एक 'हाफ जीन्स पैट' जिसमें खून जैसे धब्बे हैं। 3. एक तौलिया जिसमें खून

		जैसे धब्बे हैं। 4. ₹.500/- नगद।
--	--	--

12. अभियोजन पक्ष ने अधिकथन किया कि बरामद की गई सभी वस्तुओं को रासायनिक और सीरोलॉजिकल परीक्षण के लिए क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जगदलपुर (बस्तर) को भेज दिया गया था। एफ.एस.एल. रिपोर्ट¹¹ के अनुसार, आरोपी-अपीलकर्ता से बरामद कुल्हाड़ी (सामग्री-C), उससे जब्त किए गए जूते (सामग्री-D), सह-आरोपी मानसिंह नुरेती की टी-शर्ट और पूरी पैंट (सामग्री- F-1 और F-2), सह-आरोपी नरेंद्र नाग (सामग्री G-1 और G-3) की पूरी पैंट और तौलिया, साथ ही मृतक की शर्ट और आधी पैंट (सामग्री-H-1 और H-2) पर मानव रक्त पाया गया। यद्यपि, रक्त समूह का निर्धारण नहीं किया जा सका क्योंकि सीरोलॉजी रिपोर्ट में कहा गया था कि नमूने विघटित हो गए थे इसलिए परिणाम अनिर्णायक था।

13. अभियुक्त-अपीलार्थी को 22 अप्रैल, 2021 को मोक्ष देवांगन, तहसीलदार (अ.सा.-16) द्वारा आयोजित एक परीक्षण पहचान परेड¹² के अधीन किया गया था, जिसके दौरान कथित रूप से चक्षुदर्शी श्रीमती सुकमई हिडको (अ.सा.-2) द्वारा उसकी पहचान की गई थी।

14. आरोप- पत्र प्रस्तुत करने के बाद, विचारण न्यायालय ने सभी तीन अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप विरचित करने की कार्यवाही की।

15. अभियुक्त ने आरोपों से इनकार किया और विचारण का दावा किया।

16. अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप को स्थापित करने हेतु अभियोजन पक्ष ने सोलह साक्षियों का परीक्षण किया और कुछ दस्तावेजों और भौतिक वस्तुओं को प्रदर्शित किया। अभियोजन पक्ष के साक्ष्य से सामने आई अपराध दर्शाने वाली सामग्री को अभियुक्त

11 प्र. P/40

12 संक्षेप में 'टी. आई. पी.'

व्यक्तियों के सामने धारा 313 द.प्र.सं. के तहत उनकी परीक्षण में रखा गया था, जिसमें उन्होंने आरोपों का पूरी तरह से खंडन करते हुए कहा था कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया था। बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

17. अभिलेख पर लाए गए मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का मूल्यांकन करने पर और अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की ओर से दी गई दलीलों पर विचार करने के बाद, विद्वान विचारण न्यायालय ने 28 जनवरी, 2023 के निर्णय के अनुसार, उपरोक्त सभी तीन अभियुक्तों को सिद्धदोष किया और दण्डादेश दिया।

18. अपील में, उच्च न्यायालय ने 14 जनवरी, 2025 के निर्णय के माध्यम से शेष दो सह-अभियुक्तों की दोषसिद्धि को अपास्त करते हुए अभियुक्त-अपीलार्थी की दोषसिद्धि की पुष्टि की। उच्च न्यायालय ने मुख्य रूप से श्रीमती सुकमई हिडको (अ.सा.-2) के अभिसाक्ष्य; टी. आई. पी., जिसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट (तहसीलदार) मोक्ष देवांगन (अ.सा.-16) द्वारा प्रमाणित किया गया, में अभियुक्त-अपीलार्थी की उसकी पहचान का अवलंब लिया। न्यायालय ने आगे एफ. एस. एल. रिपोर्ट से समर्थन प्राप्त किया, यह देखते हुए कि अभियुक्त-अपीलार्थी के मेमोरेण्डम कथन के अनुसार बरामद कुल्हाड़ी और जूतों पर मानव रक्त का पता चला था, जिसे सहदेव कड़ियाम (अ.सा.-7) के अभिसाक्ष्य के माध्यम से विधिवत साबित किया गया था।

19. उच्च न्यायालय ने यह भी माना कि अभियुक्त-अपीलार्थी का बताया गया हेतुक अ.सा.-1, अ.सा.-2, अ.सा.-4, अ.सा.-6, अ.सा.-7, अ.सा.-8, और अ.सा.-9 के साक्ष्य के आधार पर सुस्थापित होता है, जिन्होंने अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त-अपीलार्थी मृतक कि दूसरी पत्नी बिंदा बाई (अ.सा.-6) का भाई है। अभिलेख से पता चलता है कि मृतक ने उसकी पहली पत्नी श्रीमती सुकमई हिडको (अ.सा.-2) के गर्भधारण करने में असमर्थ होने के कारण बिंदा बाई (अ.सा.-6) के साथ दूसरी शादी की थी। दूसरी शादी से एक पुत्र पैदा हुआ, जिससे दोनों पत्नियों के मध्य बच्चे को गोद में उठाने को लेकर अक्सर झगड़ा होता था। इन विवादों के कारण, बिंदा बाई (अ.सा.-6) अपने माता-पिता के घर में रहने लगीं,

और कई अवसरों पर सामुदायिक पंचायत की बैठकें बुलाई गईं, जिसके दौरान विवाद भी हुए। उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि चूंकि अभियुक्त-अपीलकर्ता ने अपनी बहन का समर्थन करता था और मृतक और उसके परिवार के विरुद्ध उसकी शिकायतों को साझा करता था, इसलिए उसके लिए अपराध करने का एक मजबूत हेतुक मौजूद था।

20. उक्त निर्णय अब विशेष अनुमति द्वारा वर्तमान अपील में चुनौती का विषय है।

अभियुक्त-अपीलार्थी की ओर से निवेदन

21. अभियुक्त-अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित और बाद में उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट की गई दोषसिद्धि का खण्डन करने हेतु निम्नलिखित तर्क दिए:

- (i) यह कि अभियुक्त-अपीलार्थी का नाम हीरालाल हिडको (अ.सा.-1) द्वारा दर्ज कराए गए प्रथम सूचना प्रतिवेदन¹³ (प्र. P/2) में नहीं था। यह स्वीकृत है कि अ.सा.-1 ने विशुद्ध रूप से कथित प्रत्यक्षदर्शी श्रीमती सुकमई हिडको (अ.सा.-2) द्वारा उसे दी गई जानकारी के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस प्रकार, इस तरह के दावा किए गए ज्ञान के बावजूद, पहले संस्करण में अभियुक्त के नाम का उल्लेख न करना एक महत्वपूर्ण कमी है, जो विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, प्रकरण की जड़ तक जाता है और अभियोजन प्रकरण की विश्वसनीयता को गंभीर रूप से कम करता है।
- (ii) यह कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र. P/2) में अभियुक्त की पहचान के लोप के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण कि सूचना देने वाला, हीरालाल हिडको (अ.सा.-1), एक चक्षुदर्शी साक्षी नहीं था, और वह श्रीमती सुकमई हिडको (अ.सा.-2) कथित तौर पर प्रहार को देखते ही बीमार पड़ गई, यह पूरी तरह से अविश्वसनीय है। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि श्रीमती सुकमई हिडको (अ.सा.-2) द्वारा वर्णित प्रारंभिक संस्करण में सुकमई

13 प्र. P/2

हिडको (अ.सा.-2) ने घटना के तुरंत बाद अपने ससुर को बताया कि हमलावरों ने अपने चेहरे नकाब से ढक लिए थे। यद्यपि, इसके बिल्कुल विपरीत, 21 अप्रैल, 2021 और 21 अप्रैल, 2024 को क्रमशः धारा 161 द.प्र.सं. और 164 द.प्र.सं. के तहत, महत्वपूर्ण अंतराल के बाद अभिलिखित किए गए उनके कथनों में पर्याप्त और भौतिक सुधार हैं, जिसमें आरोपी-अपीलार्थी की पहचान करने का उनका दावा भी शामिल है क्योंकि घटना के दौरान उसका नकाब हिल गया था। इस तरह का अलंकृत संस्करण, एक अस्पष्टीकृत विलंब के बाद पेश किया गया, स्वाभाविक रूप से अविश्वसनीय है और पूरी तरह से विश्वास के योग्य नहीं है।

(iii) यह कि साक्षी का आचरण अभियोजन पक्ष की कहानी को झुठलाता है। श्रीमती सुकमई हिडको (अ.सा.-2) वास्तव में सचेत थी और घटना का वर्णन करने में सक्षम थी, जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि सूचना देने वाली हीरालाल हिडको (अ.सा.-1), अपने संस्करण के आधार पर मर्ग सूचना (प्र. P/1) दर्ज कर सकती थी; इस प्रकार, उसके लिए हमलावरों के नामों को शुरु में छोड़ने का कोई कारण नहीं था। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि मर्ग सूचना (प्र. P/1) की सामग्री स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती है कि श्रीमती सुकामी हिडको (अ.सा.-2) ने अपने ससुर को घटना की विस्तृत जानकारी प्रदान की थी; इसलिए, अगर उसने वास्तव में किसी भी अपराधी की पहचान कर ली होती, तो वह उसे उनके नाम का खुलासा करने में लोप नहीं करती। परिणामस्वरूप, मर्ग सूचना (प्र. P/1) में अभियुक्त-अपीलार्थी के नाम की अनुपस्थिति अभियोजन पक्ष के प्रकरण की जड़ पर प्रहार करती है।

(iv) यह कि अभियोजन पक्ष द्वारा श्रीमती सुकमई हिडको (अ.सा.-2) की बीमारी के बहाने हमलावर के नामों के विलंबित प्रकटीकरण को उचित ठहराने का प्रयास पूरी तरह से अविश्वसनीय है। इस दावे का समर्थन करने के लिए

किसी भी चिकित्सा रिपोर्ट आदि के रूप में ऐसा कोई पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं है कि श्रीमती सुकमई हिडको (अ.सा.-2) इतनी कमजोर स्थिति में थी कि वह लगातार तीन दिनों तक उसके पति के हमलावरों का नाम बनाने में असमर्थ थी। अभिलेख पर यह स्वीकार किया गया है कि अभियुक्त-अपीलार्थी श्रीमती बिंदा बाई (अ.सा.-6), मृतक बिवन हिडको की दूसरी पत्नी का भाई है। और यह कि परिवार की दो शाखाओं के मध्य स्पष्ट दुश्मनी थी, एक पहलू जो हीरालाल हिडको (अ.सा.-1) और श्रीमतीसुकमई हिडको (अ.सा.-2) के कथनों से सामने आया। इस पृष्ठभूमि में, श्रीमती सुकमई हिडको (अ.सा.-2) द्वारा किया गया दावा कि आरोपी-अपीलार्थी का नकाब कथित रूप से प्रहार के दौरान गिर गया, जिससे वह उसे पहचानने में सक्षम हो गई, उस समय जब द.प्र.सं. की धारा 161 और 164 के तहत उसके कथन अभिलिखित किए गए थे, एक स्पष्ट अलंकरण है। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, यह विलंबित कहानी, साक्षी द्वारा पहले से मौजूद शत्रुता के कारण अपीलार्थी को गलत तरीके से फंसाने के जानबूझकर किए गए प्रयास को दर्शाती है।

(v) यह कि चूँकि अभियुक्त-अपीलार्थी श्रीमती सुकमई हिडको (अ.सा.-2) को अच्छी तरह परिचित था, अभियोजन पक्ष द्वारा पहचान कार्यवाही (टी. आई. पी.) आयोजित कर उसकी संलिप्तता स्थापित करने के प्रयास से संकेत मिलता है कि श्रीमती सुकमई हिडको (अ.सा.-2) घटना के समय किसी भी हमलावर की पहचान नहीं कर सकी थी। एक बार साक्षी द्वारा अभियुक्त का नाम लिए जाने के बाद, उसी अभियुक्त की पहचान कार्यवाही (टी. आई. पी.) आयोजित करने का कोई तर्क नहीं होगा।

(vi) यह कि जिन बरामदगियों पर विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने बहुत अधिक भरोसा किया, वे महत्वहीन हैं, क्योंकि वस्तुओं पर केवल मानव

रक्त का पता लगाना, स्वयं, साक्षियों के अन्यथा कमजोर साक्ष्य की कोई पुष्टि नहीं करता है। अभियोजन पक्ष ने न तो कथित रूप से अभियुक्त के कहने पर बरामद वस्तुओं पर रक्त समूह को साबित किया है और न ही मृतक के रक्त समूह को, और इसलिए, बरामदगी अप्रासंगिक हो जाती है। इसके अलावा, भौतिक वस्तुओं की शुद्धता को साबित करने के लिए आवश्यक लिंक साक्ष्य विश्वसनीय साक्ष्य की प्रस्तुती से साबित नहीं हुए थे।

इन आधारों पर, विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय से अपील को स्वीकार करने, अभियुक्त-अपीलार्थी की दोष सिद्ध को अपास्त ने और जेल से उसकी रिहाई का निर्देश देने का अनुरोध किया।

प्रत्यर्थी- राज्य की ओर से निवेदन

22. इसके विपरीत, छत्तीसगढ़ राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया। उन्होंने निवेदन किया कि अभियुक्त-अपीलार्थी का नाम मृतक की पत्नी श्रीमती सुकमई हिडको (अ.सा.-2) की धारा 161, द.प्र.सं. के तहत पहले कथन में बताया गया था जिसे उसकी तबियत ठीक होने के तुरंत बाद अभिलिखित किया गया था। उन्होंने आग्रह किया कि ग्रामीण पृष्ठभूमि की एक महिला के लिए, जिसने अपने पति पर क्रूर हमले को देखा है, गहरा सदमे की स्थिति में होना पूरी तरह से स्वाभाविक था, और इसलिए, प्रहार वरों के नाम तुरंत अपने ससुर हीरालाल हिडको (अ.सा.-1) को बताने में उसकी असमर्थता असामान्य या अप्राकृतिक नहीं थी। उन्होंने आगे आग्रह किया कि प्रत्यक्षदर्शी श्रीमती सुकमई हिडको (अ.सा.-2) द्वारा अपने शपथपूर्वक कथन में अभियुक्त-अपीलार्थी का नाम बताना और उसकी पहचान करना, सुकमई हिडको (अ.सा.-2) द्वारा पहचान कार्यवाही (टी. आई. पी.) में अभियुक्त-अपीलार्थी की पहचान और विलंबित प्रकटीकरण के लिए प्रस्तुत विश्वसनीय स्पष्टीकरण के साथ, उसके अभिसाक्ष्य को पूरी तरह से विश्वसनीय बनाता है।

23. इस प्रकार, विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अभिलेखित अभियुक्त-अपीलार्थी की दोषसिद्धि और तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किसी भी हस्तक्षेप को आमंत्रित नहीं करती है।

वितर्क और विश्लेषण

24. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए निवेदनों पर गहन विचार किया है और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का सावधानीपूर्वक पुनः विश्लेषण किया है।

25. शुरुआत में, हम देख सकते हैं कि बिवन हिडको की हत्या का तथ्य विवादित नहीं है, जो चिकित्सा न्यायविद डॉ. ए. के. ध्रुव (अ.सा.-11) की गवाही से स्थापित होता है। इसलिए, हमें अभियोजन पक्ष के प्रकरण के इस पहलू पर आगे ध्यान देकर निर्णय का बोझ बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।

26. यह भी निर्विवाद है कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र. P/2) हीरालाल हिडको (अ.सा.-1) के मर्ग कथन (प्र. P/1) के आधार पर दर्ज किया गया था, जो उसने 18 अप्रैल, 2021 को सुबह 7:25 बजे थाना भानुप्रतापपुर, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ में दिया था, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से कथन किया था कि रात्रि लगभग 11:30 बजे उसकी बहू उसके पास आई और उसे सूचित किया कि दो अज्ञात नकाबपोश व्यक्ति रात्रि लगभग 11 बजे आए, जिनमें से एक लंबा था, जबकि दूसरा कम ऊँचा और दुबला था, और हाथ में हँसिया पकड़े हुए था। उन्होंने बिवन को पुकारकर जगाया और उसे खेत की झोपड़ी से दूर ले गए। श्रीमती सुकमई हिडको (अ.सा.-2) ने उनका पीछा किया और दरवाजे पर खड़ी हो गई और अपने पति की चीखें सुनकर वह डर गई और भाग गई।

27. यह जानकारी मिलने पर, सूचना देने वाले हीरालाल हिडको (अ.सा.-1), सहदेव कड़ियाम (अ.सा.-7), कुशल कावडे (अ.सा.-3), रामप्रसाद नेताम और घन अंचल के साथ मैदान की ओर बढ़ा, जहाँ एक टॉर्च की रोशनी में उसने बिवन हिडको को खून से लथपथ मृत पाया। मर्ग सूचना (प्र. P/1) में विशेष रूप से यह अधिकथन किया गया था कि

कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने बिवन पर धारदार हथियार से हमला किया था और उसकी हत्या कर दी थी।

28. एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जो निर्विवाद बना हुआ है, वह अभियोजन पक्ष के साक्षियों (अ.सा.-1 और अ.सा.-2) और अभियुक्त-अपीलार्थी के मध्य पूर्व शत्रुता के बारे में है। यह एक स्वीकृत स्थिति है कि श्रीमती सुकमई हिडको (अ.सा.-2) के वर्तमान विवाह के जारी रहते हुए मृतक बिवन हिडको ने वर्तमान अभियुक्त-अपीलार्थी की बहन, श्रीमती बिंदा बाई (अ.सा.-6) से विवाह किया और इस संबंध के कारण पक्षों के मध्य गंभीर मतभेद उत्पन्न हो गए थे। पंचायतें बुलाई गईं, जिसमें उनके मध्य झगड़े हुए। यह पूर्व शत्रुता की पृष्ठभूमि में है कि हम दो प्रमुख साक्षियों, हीरालाल हिडको (अ.सा.-1) और श्रीमती सुकमई हिडको (अ.सा.-2), जिनके साक्ष्य पर पूरा अभियोजन प्रकरण टिका हुआ है, के साक्ष्य का मूल्यांकन करने के लिए आगे बढ़ेंगे।

29. हीरालाल हिडको (अ.सा.-1) ने निम्नलिखित अभिसाक्ष्य दिया है :-

“(1) मैं न्यायालय में उपस्थित तीनों अभियुक्तों (गोविंद मण्डावी, नरेंद्र नाग, मानसिंह नुरेती) को जानता हूँ। बिवन हिडको मेरा पुत्र था जो मर चुका है। हमारी जाति गोंड है।

(2) मैं इरागांव के दुर्गुपारा गाँव में रहता हूँ। इमलीपारा में मेरे खेत में मेरी एक बड़ी झोपड़ी है। मेरा पुत्र बिवन हिडको और उसकी पत्नी सुकमई हिडको खेत में बनी झोपड़ी में रहते थे। 17.04.2021 को रात्रि लगभग 11:00 बजे मेरी बहू सुकमई हिडको मेरे घर आई और मुझे बताई कि गोविंद और मानसिंह हँसिया लेकर आए थे, उस समय मैं और मेरे पति अलग-अलग खाट पर सो रहे थे। गोविंद और मानसिंह मेरे पति बिवन को भण्डारगृह में ले गए और हँसिया से उसके चेहरे पर वार किया। मेरी बहू द्वारा उपरोक्त बताए जाने पर, मैं, सहदेव कड़ियाम, कुशल कौडो, रामप्रसाद नेताम, घना अंचल मौके पर गए और देखा कि मेरा पुत्र बिवन हिडको भण्डारगृह में फर्श पर पीठ के बल लेटा हुआ था और

उसकी दाहिनी आंख के पास उसके चेहरे पर चोट थी और वहां से खून बह रहा था।

- (3) मैंने 18.04.2021 को घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। जब साक्षी को मर्ग सूचना पढ़कर सुनाई गई, तो उसने कहा कि उसने ऐसी रिपोर्ट लिखवाई थी। मर्ग सूचना को प्र. P/1 चिह्नित किया गया और जब साक्षी को प्रथम सूचना प्रतिवेदन पढ़कर सुनाया गया तो उसने कहा कि उसने ऐसी रिपोर्ट लिखवाई थी। प्रथम सूचना प्रतिवेदन को प्र. P/02 चिह्नित किया गया।"

साक्षी को लोक अभियोजक द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया और उससे सूचक प्रश्न पूछे

गए :

“(8). यह कहना सही है कि मेरे बेटे बिवन हिडको की दो पत्नियाँ हैं, उसकी पहली पत्नी सुकमई हिडको और दूसरी पत्नी बिंदाबाई हैं। यह कहना सही है कि घटना से दो माह पहले बिंदाबाई अपने बेटे के साथ गाँव घोठा में अपने मायके में रह रही थी। मुझे नहीं पता कि मेरे बेटे बिवन और उसकी पत्नी बिंदाबाई के मध्य झगड़ा हुआ था। यह कहना सही है कि गाँव घोथा में बिवन और उनकी पत्नी बिंदाबाई के बारे में एक बैठक हुई थी। यह कहना सही है कि उक्त बैठक में बिंदाबाई ने बिवन को धमकी दी थी।

(9). यह कहना सही है कि सुकमई हिडको ने मुझे बताया कि एक व्यक्ति नकाब पहना हुआ था, नकाब खुल गया और उसने उसे देखा जो गोविंद था। यह कहना सही है कि गोविंद अपनी बहन बिंदाबाई के घर जाता था, इसलिए गोविंद को पता था कि बिवन खेत की झोपड़ी में सोता था। यह कहना सही है कि सुकमई ने बताया कि गोविंद 17.04.2021 की रात को योजना के अनुसार अपने दो अन्य साथियों के साथ खेत की झोपड़ी- भण्डारगृह में आया था और गोविंद अपने

एक साथी के साथ हँसिया लेकर शेड के अंदर चला गया और उसका दूसरा साथी गौशाला में छिप गया। यह कहना सही है कि सुकमई ने बताया कि जब गोविंद बिवन के साथ बाहर आया तो तीनों साथी मिलकर बिवन को लगभग 50 मीटर दूर भण्डारगृह में ले गए और उसे हँसिया लगे हुए एक घातक छड़ी से मारा। उन्होंने उस पर प्रहार किया और उसे जान से मार दिया। यह कहना सही है कि मेरी बहू सुकमा ने बताया था कि दो नकाबपोश पुरुष थे। यह कहना सही है कि उस समय मेरी बहू सुकमई का स्वास्थ्य ठीक नहीं था और उसने बताया कि वह अपनी बीमारी के कारण सो गई थी। यह कहना सही है कि मृतक के अंतिम संस्कार के बाद, 21.04.2021 को, सुकमई बाई ने बताया था कि दो नहीं परन्तु तीन अज्ञात नकाबपोश पुरुष थे। यह कहना सही है कि मेरी बहू सुकमई बाई ने तीनों अभियुक्तों के नाम बताए थे। यह कहना सही है कि सुकमई बाई ने बताया था कि उपरोक्त तीन व्यक्तियों ने मिलकर बिवन को मार डाला। मैंने प्र. P/03 और प्र. P/04 का कथन देते समय पुलिस को उपरोक्त बातें बताई थीं।

.....

(13). मैं स्वयं इस घटना के बारे में नहीं जानता परन्तु मेरी बहू सुकमई ने मुझे इसके बारे में बताया था। यह कहना गलत है कि मैं मौके पर नहीं गया था।

(14). यह कहना गलत है कि पुलिस ने मुझे वह पढ़कर नहीं सुनाया जो प्रथम सूचना प्रतिवेदन और मर्ग सूचना में लिखा गया था। साक्षी स्वयं कहता है कि उन्होंने मुझे पढ़कर सुनाया। यह कहना सही है कि मर्ग सूचना और प्रथम सूचना प्रतिवेदन लिखते समय, मैंने दो अज्ञात

नकाबपोश लोगों का उल्लेख किया था। यह कहना सही है कि उस समय मेरी बहू ने दो अज्ञात नकाबपोश पुरुषों के बारे में बताया था। यह कहना सही है कि जब पुलिस ने मुझसे पूछताछ की तो मैंने दो अज्ञात नकाबपोश लोगों के बारे में बताया था।

.....

(16) यह कहना सही है कि बिवन ने बिंदाबाई को चूड़ियाँ पहनाई थीं क्योंकि सुकमई ने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया था। यह कहना सही है कि बिवन का बिंदाबाई से एक पुत्र है। यह कहना गलत है कि बिंदाबाई के बेटे को जन्म देने के बाद से ही बिवन और बिंदाबाई मध्य झगड़ा हुआ करता था। साक्षी स्वयं कहता है कि बिंदाबाई सुकमई को अपने बेटे को छूने नहीं देती थी, अतः बिंदाबाई और सुकमई के मध्य झगड़ा होता था। यह कहना सही है कि बिंदाबाई और सुकमई के मध्य झगड़े को लेकर कई सामाजिक बैठकें हुई थी। साक्षी स्वयं कहता है कि सामाजिक बैठकों में बिंदाबाई और सुकमई को समझाया जाता था। यह कहना सही है कि इस झगड़े के कारण बिंदाबाई अपने मायके में रह रही थीं।”

[जोर दिया गया]

30. एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी श्रीमती सुकमई हिडको (अ.सा.-2) ने निम्नानुसार अभिसाक्ष्य दिया:

“(2). मैं अपने पति बिवन के साथ गाँव इरगाँव के इमालीपारा में स्थित खेत में बनी एक झोपड़ी- भण्डारगृह में रहती थी। घटना दिनांक को, मैं अपने पति के साथ खेत में बनी झोपड़ी में थी। घटना की रात, मैं और मेरे पति खेत में बनी झोपड़ी- भण्डारगृह में सो रहे थे जब

गोविंद सहित न्यायालय में मौजूद दोनों अभियुक्त हमारे खेत में बनी झोपड़ी- भण्डारगृह के दरवाजे के पास खड़े थे। उन्होंने खेत में बनी झोपड़ी- भण्डारगृह का दरवाजा खोला और घर में प्रवेश किया और गोविंद ने मेरे पति को बाहर जाने के लिए कहा। मेरे पति ने बाहर जाने से मना कर दिया तो गोविंद ने उसे पकड़ लिया और उसे भण्डारगृह में ले गया और गोविंद ने मेरे पति को हँसिया से मारा। मेरे पति ने 'ऐ दाई ओ' कहकर चिल्लाया। इसके बाद मैं अपने ससुर के पास गई और उन्हें उपरोक्त घटना बताई। इसके बाद मेरे ससुर कुछ लोगों के साथ खेत में बनी झोपड़ी- भण्डारगृह में आए। इसके बाद, वे उसी रात रिपोर्ट करने के लिए थाना गए।

(3). जब पुलिस ने मुझसे पूछताछ की, तो मैंने उन्हें वही बताया जो मैंने देखा था। पुलिस ने मुझसे दो बार पूछताछ की।

.....

(6). मैं भानुप्रतापपुर के तहसील कार्यालय गया था। वहाँ पहचान की कार्यवाही के बाद मैंने गोविंद और न्यायालय में मौजूद अन्य दो अभियुक्तों की पहचान की।"

लोक अभियोजक ने साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया और उससे सूचक प्रश्न पूछे।

“(7). यह कहना सही है कि मैं बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं थी इसलिए मेरे पति, बिवन ने बिंदाबई को चूड़ियाँ पहनाई और उससे शादी कर ली। यह कहना सही है कि बिंदाबाइ का एक पुत्र बिवन से है। मुझे नहीं पता कि बिवन को बिंदाबई के चरित्र पर संदेह था। साक्षी स्वयं कहती है कि बिवन और बिंदाबई दोनों अच्छी तरह से रहते थे। यह कहना गलत है कि बिवन को बिंदाबई के चरित्र पर संदेह था, इसलिए

वह अपने मायके जाती थी। साक्षी स्वयं कहती है कि बिंदाबाड़ बिना बताए अपने मायके जाती थी, इसलिए दो-तीन सामाजिक बैठकें हुईं और गोविंद ने सामाजिक बैठक में पत्नी को पीटा। यह कहना सही है कि सामाजिक बैठक में गोविंद ने मेरे पति बिवन को धमकी दी थी कि वह उसे देख लेगा। वह तीन सामाजिक बैठकों के बाद बिंदा बाड़ी को वापस ले आया। बिंदाबाड़ी चौथी बार अपने मायके गई और उसके बाद वापस नहीं आई। साक्षी स्वयं कहती है कि जब चौथी सामाजिक बैठक हुई तो गोविंद ने कहा था कि वह मेरे पति को देख लेगा।

(8). घटना का दिनांक 17, शनिवार था। मैं यह नहीं कह सकती कि दिनांक 17.04.2021 था। यह कहना सही है कि घटना दिनांक को मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं दवा खाकर सो रहा थी। यह कहना सही है कि मैंने अपने ससुर को घटना के बारे में बताया था और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं अपने ससुर को घटना के बारे में बताकर सोने चली गई।

(9) यह कहना सही है कि अपने पति के अंतिम संस्कार के बाद मैंने अपने ससुर, देवर और परिवार के अन्य सदस्यों से कहा कि नकाबपोश पुरुष दो नहीं बल्कि तीन थे। यह कहना सही है कि मैंने नकाबपोश लोगों से पूछा कि वे मेरे पति को कहाँ ले जा रहे थे। यह कहना सही है कि नकाबपोश लोगों में से एक ने मुझे 'दीदी' कहा और मैंने उनकी आवाज पहचानने का प्रयास किया। मैंने उसे पहचान लिया था और उसका नकाब भी गिर गया था। यह कहना सही है कि वे गोविंद थे। साक्षी स्वयं कहती है कि मैंने गोविंद को पहचान लिया जब उसने मुझसे "चल दीदी" कहा।

(10). घटना के समय बिंदाबाई अपने मायके में रह रही थी। गोविंद ने यह सोचकर बिवन को मार डाला होगा कि बिवन बिंदाबाई को नहीं रखेगा। यह कहना सही है कि मैंने प्र. P/05 और प्र.P/06 का कथन देते हुए उपरोक्त सभी तथ्यों को पुलिस को बता दिया था।"

श्री बी. एन. निषाद, अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त गोविंद मण्डावी और नरेंद्र नाग का प्रतिपरीक्षण

"12. यह कहना गलत है कि दो लोग नकाब पहनकर आए थे। साक्षी स्वयं कहती है कि दो लोग मकान के शेड में आए, और एक व्यक्ति शेड के दरवाजे के पास खड़ा था। यह कहना सही है कि जो लोग आए थे वे नकाब पहने हुए थे। यह कहना गलत है कि मैं उनमें से किसी को भी पहचान नहीं सका क्योंकि उन्होंने नकाब रखा था। साक्षी स्वयं कहती है कि मैंने गोविंद को पहचाना लिया था। यह कहना गलत है कि वे लोग मेरे पति को घर से बाहर ले गए और फिर मैं अपने ससुर को बताने गई। साक्षी स्वयं कहती है कि वे लोग मेरे पति को घर से बाहर ले गए और मेरे पति को पीटा, फिर मेरे पति ने "ऐ दाई ओ" कहकर चिल्लाया और उसके बाद मैं अपने ससुर को बताने गई। यह कहना गलत है कि मैंने नहीं देखा कि मेरे पति की हत्या किसने की। साक्षी स्वयं कहती है कि मैं घर से बाहर आई और दरवाजे के पास खड़ी थी और देखा कि मेरे पति को पीटा जा रहा था। यह कहना सही है कि जिस भंडारगृह में घटना हुई वह खेत की झोपड़ी से उतना ही दूर है जितना कि कटघरे से न्यायालय परिसर का मुख्य प्रवेश द्वार (कटघरे से न्यायालय परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार तक की दूरी लगभग 40 मीटर होगी)। यह कहना सही है कि भंडारगृह में अंधेरा था। यह कहना सही है कि अपने पति की आवाज सुनने के बाद मैं अपने ससुर को बुलाने आई थी। यह कहना

सही है कि मेरे ससुर और अन्य लोग उनके आने के बाद रात में थाना गए थे।

.....

14. यह कहना सही है कि मैंने अपने ससुर को बताया था कि दो लोगों ने नकाब पहन रखा था। यह कहना गलत है कि मैंने अपने ससुर को गोविंद का नाम नहीं बताया था। यह कहना भी गलत है कि पुलिस को कथन देते हुए मैंने गोविंद के नाम का उल्लेख नहीं किया।

15. यह कहना सही है कि मेरी शादी के बाद से मेरी कोई संतान नहीं हुई है। यह कहना सही है कि चूंकि मेरी कोई संतान नहीं थी, इसलिए मेरे पति बिवन ने बिंदाबाई को चूड़ियाँ पहनाकर अपनी पत्नी बना लिया। यह कहना सही है कि बिंदा बाई ने बिवन से एक बेटे को जन्म दिया है। यह कहना गलत है कि बिंदा बाई के बेटा होने के बाद मेरे पति का मुझसे विवाद होता था। साक्षी स्वयं कहती है कि बिंदा बाई मुझे अपने बेटे छूने नहीं देती थी। यह कहना सही है कि बिंदा बाई मुझे अपने बेटे छूने नहीं देती थी इसलिए बिंदा बाई और मेरे बीच विवाद हुआ करता था। यह कहना गलत है कि बिंदा बाई और मेरे बीच विवाद के कारण वह अपने मायके जाती थी। साक्षी स्वयं कहती है कि बिंदा बाई अपनी मर्जी से अपने मायके जाती थी। यह कहना सही है कि बिंदा बाई के अपने मायके जाने के कारण तीन-चार सामाजिक बैठकें आयोजित की गई थीं। यह कहना गलत है कि यह हमारी गलती थी इसलिए समाज ने मेरे ससुर, मेरे पति और मुझे समाज से अलग कर दिया। साक्षी स्वयं कहती है कि हमारे समाज के लोगों ने हमें बहिष्कृत नहीं किया है। यह कहना गलत है कि मेरा बिंदा बाई के साथ विवाद हुआ करता था और इसलिए मैं उसे फंसाने के लिए उसके भाई गोविंद

का नाम ले रही हूँ। यह कहना गलत है कि हम बिंदा बाई और उसके भाई गोविंद से नाराज थे क्योंकि बिंदा बाई नहीं लौटी थी। यह कहना सही है कि सामाजिक बैठक में अभियुक्त गोविंद ने अपनी बहन बिंदा बाई का पक्ष लिया था।"

(16). यह कहना सही है कि पुलिस मुझे तहसील कार्यालय लाई थी। यह कहना गलत है कि पहचान की कार्यवाही के समय न्यायालय में केवल तीन अभियुक्त उपस्थित थे। साक्षी स्वयं कहती है कि उसके साथ चार-पाँच और लोग थे और उसने मुझसे तीन बार न्यायालय में मौजूद प्रत्येक अभियुक्त की पहचान कराई। तहसील कार्यालय में आने के बाद पुलिस ने मुझसे बात की और कहा कि आपको उनकी पहचान करनी है। यह कहना गलत है कि पुलिस ने मुझे न्यायालय में मौजूद तीन अभियुक्तों के नाम बताए और कहा कि मुझे उनकी पहचान करनी है। यह कहना सही है कि अभियुक्त गोविंद बिंदाबाई का भाई है। यह कहना सही है कि गोविंद पहले अपनी बहन बिंदाबाई से मिलने गया था, और इसलिए मैं उसे पहले से जानती थी।"

[जोर दिया गया]

31. प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र. P/2) में लगाए गए आरोपों के संदर्भ में इन पूर्वोक्त कथनों का सूक्ष्म विश्लेषण निम्नलिखित तथ्यों को उजागर करता है :

i) प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र. P/2) में इस बात का कोई दावा नहीं है कि घटना के दौरान किसी भी हमलावर का नकाब गिर गया था, या चक्षुदर्शी (मृतक की पत्नी), श्रीमती सुकमई हिंडको (अ.सा.-2) इस तरह किसी भी हमलावर की पहचान करने में सक्षम थी।

(ii) प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र. P/2) में कोई दावा नहीं है कि श्रीमती सुकमई

हिडको (अ.सा.-2) बीमार पड़ गई थी या घटना के बाद बोलने की स्थिति में नहीं थी।

- iii) प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र. P/2) यह सुझाव देने के लिए कोई सामग्री का खुलासा नहीं करता है कि, उस समय जब श्रीमती सुकमई हिडको (अ.सा.-2) ने हीरालाल हिडको (अ.सा.-1) को घटना के बारे में सूचित किया, वह जानती थी कि उसके पति की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी।

32. हीरालाल हिडको (अ.सा.-1) ने अपने मुख्य परीक्षण में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि उसकी बहू श्रीमती सुकमई हिडको (अ.सा.-2) उसके घर आई और उसे सूचित किया कि गोविंद मण्डावी और मानसिंह नुरेती एक हँसिया के साथ आए थे, बिवन को भण्डारगृह में ले गए और उक्त हथियार से उस पर हमला किया।

33. लोक अभियोजक द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में, हीरालाल हिडको (अ.सा.-1) ने अपनी बात को संशोधित करने का प्रयास किया और दावा किया कि श्रीमती सुकमई हिडको (अ.सा.-2) ने उसे बताया कि हमलावरों में से एक द्वारा पहना गया नकाब गिर गया था, जिससे वह उस व्यक्ति की पहचान गोविंद मण्डावी के रूप में कर सकी थी।

34. साक्षी हीरालाल हिडको (अ.सा.-1) ने लोक अभियोजक के सुझाव के उत्तर के रूप में आगे स्वीकार किया कि श्रीमती सुकमई हिडको (अ.सा.-2) ने उसे बताया था कि गोविंद मण्डावी अपने साथियों के साथ भण्डारगृह में आया और मृतक-बिवन हिडको को ले गया और उसके बाद प्रहार हुआ।

35. हीरालाल हिडको (अ.सा.-1) ने आगे कथन किया कि जब श्रीमती सुकमई हिडको (अ.सा.-2) ने पहले उसे दो अभियुक्तों की उपस्थिति के बारे में बताया था; उसने बाद में 21 अप्रैल, 2021 को कथन किया कि हमलावरों की संख्या तीन थी। हीरालाल हिडको (अ.सा.-1) ने यह भी स्वीकार किया कि उसकी बहू श्रीमती सुकमई हिडको (अ.सा.-2) ने

उसे तीनों अभियुक्तों के नाम बताए थे। ये उत्तर लोक अभियोजक द्वारा पूछे गए सूचक प्रश्नों पर प्राप्त किए गए थे।

36. श्रीमती सुकमई हिडको (अ.सा.-2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि जब वह और उसका पति खेत में भण्डारगृह में सो रहे थे, तो उसने दो व्यक्तियों को देखा, जिनमें से एक गोविंद मण्डावी था, जो भण्डारगृह के पास खड़ा था। इस प्रारंभिक संस्करण में, उसने यह अधिकथन नहीं किया था कि किसी भी हमलावर ने नकाब पहन रखा था। उसने आगे कथन किया कि उसने अभियुक्त- अपीलार्थी गोविंद मण्डावी और न्यायालय में उपस्थित अन्य दो अभियुक्तों को पहचान लिया था।

37. लोक अभियोजक द्वारा उसे पक्षद्रोही घोषित करने और सूचक प्रश्न पूछने के बाद ही उसने कहा कि उसने अपने ससुर और परिवार के अन्य सदस्यों को अपने पति के अंतिम संस्कार के बाद सूचित किया था कि हमलावर दो नकाबपोश पुरुष नहीं थे बल्कि तीन पुरुष थे, और नकाबपोश व्यक्तियों में से एक ने उसे दीदी के रूप में संबोधित किया था, जिससे वह उसकी आवाज से अभियुक्त- अपीलार्थी के रूप में पहचान करने में सक्षम हो गई। उसने आगे दावा किया कि उसका नकाब भी गिर गया था।

38. श्रीमती सुकमई हिडको (अ.सा.-2) के अभियुक्त-अपीलार्थी और सह-अभियुक्त नरेंद्र नाग की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण के दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तर प्राप्त हुआ। प्रश्न क्र.14 के उत्तर में उसने स्वीकार किया कि यह कहना गलत था कि उसने अपने ससुर को अभियुक्त-अपीलार्थी गोविंद मण्डावी का नाम नहीं बताया था।

39. इन तथ्यों के विश्लेषण से यह निर्विवाद निष्कर्ष निकलता है कि दो प्रमुख अभियोजन साक्षियों (अ.सा.-1 और अ.सा.-2) ने शपथ लेते समय अपने कथनों को संशोधित करने और सुधारने का प्रयास किया है। उसका अभिसाक्ष्य अलंकरणों और विरोधाभासों से भरा हुआ है।

40. साक्ष्य का समग्र अवलोकन यह स्पष्ट करता है कि श्रीमती सुकमई हिडको (अ.सा.-2) ने अपने ससुर हीरालाल हिडको (अ.सा.-1) के साथ घटनाओं का पूरा क्रम साझा किया, जिसे उन्होंने अपने पति पर प्रहार से जुड़ी घटना के दौरान देखा और महसूस किया था। अभियोजन पक्ष का यह प्रकरण नहीं है कि जब साक्षी श्रीमती सुकमई हिडको (अ.सा.-2) अपने ससुर हीरालाल हिडको (अ.सा.-1) के पास आई और उसे प्रहार का विवरण दिया, वह इतनी बीमार थी या अन्यथा हीरालाल हिडको (अ.सा.-1) को घटना का पूरा विवरण देने में असमर्थ थी।

41. वास्तव में, फर्दबयान (प्र.P/1) के अनुसार, साक्षी ने हीरालाल हिडको (अ.सा.-1) को जो बताया, उसमें एकमात्र लोप आरोपी-अपीलार्थी गोविंद मण्डावी का नाम था। साक्षी के लिए यह इतना महत्वपूर्ण तथ्य था कि वह अपने ससुर हीरालाल हिडको (अ.सा.-1) को अपने पति पर प्रहार का विवरण सुनाते समय भूल जाए या छोड़ दे। यह स्पष्ट है कि साक्षी श्रीमती सुकमई हिडको (अ.सा.-2) ने छोटे से छोटे पहलू का वर्णन किया जैसे कि नकाबपोश लोगों का आगमन, जिस समय वे आए, उनकी शारीरिक विशेषताएं (एक लंबा, एक छोटा और दुबला), उनके द्वारा लाए गए हथियार, जिस तरह से उन्होंने उसके पति को जगाया, उसे खेत की झोपड़ी से दूर ले गए, और उसके बाद उसे जो चीखें सुनाई दी। अतः यह पूर्णतः अविश्वसनीय है कि उसने अपने ससुर को इस आधार पर अभियुक्त का नाम बताना छोड़ दिया होगा कि वह अस्वस्थ थी। यह लोप अभियोजन पक्ष के प्रकरण की नींव पर प्रहार करती है, और ऐसा प्रतीत होता है कि, उसी पर काबू पाने के लिए, एक कहानी को बाद में गढ़ा गया और श्रीमती सुकमई हिडको (अ.सा.-2) के विलंबित पुलिस कथन में यह सुझाव देते हुए पेश किया गया कि वह बीमार पड़ गई थी और इसलिए वह गोविंद मण्डावी के नाम का खुलासा अपने ससुर के सामने नहीं कर पाई यद्यपि उसने उसकी आवाज से उसकी पहचान कर ली थी और उसका नकाब गिर गया था।

42. इसके अलावा, हमारा विचार है कि श्रीमती सुकमई हिडको (अ.सा.-2) द्वारा 21 अप्रैल, 2021 को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत किए गए कथन की वास्तविकता के संबंध में एक गंभीर संदेह उत्पन्न होता है। सुकमई हिडको (अ.सा.-2) ने, वास्तव में, उस कथन में अभियुक्त-अपीलार्थी का नाम लिया था, उसके कहने पर अभियुक्त-अपीलार्थी गोविंद मण्डावी की पहचान कार्यवाही (टी. आई. पी.) आयोजित करने का कोई औचित्य नहीं था, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि वह अभियुक्त-अपीलार्थी को बिंदा बाई (अ.सा.-6), वह महिला जिसका मृतक ने श्रीमती सुकमई हिडको (अ.सा.-2) के साथ अपने पहले विवाह के जारी रहते हुए विवाह किया था, का भाई होने के कारण पहले से जानती थी।

43. इस प्रकार, श्रीमती सुकमई हिडको (अ.सा.-2) के 21 अप्रैल, 2021 दिनांकित द.प्र.सं. की धारा 161 के तहत कथन में अभियुक्त-अपीलार्थी के नाम का विलंबित परिचय एक स्पष्ट हेरफेर प्रतीत होता है, जो पूर्व शत्रुता के कारण आरोपी-अपीलार्थी को अपराध में फंसाने के लिए तैयार किया गया था।

44. एक समान तथ्य स्थिति में, प्रथम सूचना प्रतिवेदन में इस तरह की महत्वपूर्ण लोप के प्रभाव पर इस न्यायालय द्वारा **राम कुमार पाण्डेय बनाम मध्य प्रदेश राज्य**¹⁴ के प्रकरण में विचार किया गया था। उक्त निर्णय से आवश्यक टिप्पणियाँ नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं:-

“8. उपर्युक्त प्रथम सूचना प्रतिवेदन 23 मार्च, 1970 को रात्रि 9.15 बजे थाना गंज में दर्ज की गई थी। घटना का समय शाम 5 बजे बताया गया है। हरबिंदर सिंह की हत्या का एकमात्र चक्षुदर्शी साक्षी जोगिंदर सिंह है। दो बेटियाँ तरणजीत कौर, अ.सा. 2, और अमरजीत कौर, अ.सा. 6, का उल्लेख केवल उन व्यक्तियों के रूप में किया गया है जिन्होंने हरबिंदर सिंह के घाव पर चादर लपेटते हुए देखा था। सबसे

महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है कि अपीलार्थी ने हरबिंदर सिंह को चाकू मारा था। यह अकल्पनीय लगता है कि दोपहर रात्रि 9:15 तक हरबिंदर सिंह के पिता उत्तम सिंह को यह पता नहीं चलेगा कि अपीलार्थी ने हरबिंदर सिंह के शरीर पर चाकू घोंपने के दो घावों में से एक कारित कर दिया था।

9. इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन एक पिछला कथन है जिसका उपयोग, सटीकता से बोला जाए तो, केवल इसके निर्माता की पुष्टि या खंडन करने के लिए किया जा सकता है। परन्तु इस प्रकरण में यह हत्या किए गए लड़के के पिता ने दर्ज कराई थी जिन्हें मार्च 23, 1970 की रात्रि 9 :15 बजे तक जाने जा चुके महत्वपूर्ण तथ्यों से सूचित किया जाना तय था। अगर उसकी बच्चियों ने अपीलार्थी को हरबिंदर सिंह पर प्रहार करते हुए देखा होता तो उनके पिता ने निश्चित रूप से प्रथम सूचना प्रतिवेदन में इसका उल्लेख किया होता। हमें लगता है कि प्रकरण की संभावनाओं को प्रभावित करने वाले ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों का लोप अभियोजन पक्ष के प्रकरण की सच्चाई का न्यायनिर्णयन करने में साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 के तहत सुसंगत हैं।

10. यहां तक कि जोगिंदर सिंह, अ.सा. 8 भी इस घटना के चक्षुदर्शी नहीं था। वह केवल एक कथित मृत्युकालीन कथन को प्रमाणित करता है। उसने कथन किया कि हरबिंदर सिंह (उसके घर के नाम "पप्पी" से वर्णित) दरवाजा खोलकर अपने घर से बाहर निकला और अपनी छाती पर अपना हाथ रखा और उसमें से खून बह रहा था। उसने अभिकथन किया कि जब उसने पप्पी से पूछा कि क्या हुआ था तब पप्पी ने उसे बताया कि सुरेश और पण्डित ने उसे घायल कर दिया था। प्रथम सूचना

प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज किए जाने से पहले जोगिंदर सिंह उत्तम सिंह से मिला था। उत्तम सिंह ने वहाँ यह उल्लेख नहीं किया कि कोई भी मृत्युकालीन कथन, जो यह दर्शाती है कि अपीलार्थी ने हरबिंदर सिंह को भी आहत कर दिया था, हरबिंदर सिंह द्वारा की गई थी। प्रथम सूचना प्रतिवेदन में अपीलार्थी द्वारा हरबिंदर सिंह को पहुँचाई गई कोई भी चोट का उल्लेख करने में लोप इस प्रकरण की परिस्थितियों में बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होती है। वास्तव में, प्रथम सूचना प्रतिवेदन के संस्करण के अनुसार, जोगिंदर सिंह, जो गली में था, के बारे में कहा जाता है कि वह तब पहुँचा जब हरबिंदर सिंह आहत हो रहा था। अतः यदि यह सही था, तो हरबिंदर सिंह को भी दो चोटें बाहर की गली में लगी होंगी।

.....

17. जहां तक दूसरे और तीसरे बिंदुओं का संबंध है, हम तीन कथित चक्षुदर्शी साक्षियों के संस्करण पर विश्वास करने में असमर्थ हैं क्योंकि उपरोक्त परिस्थितियों में की गई प्रथम सूचना प्रतिवेदन में उनका चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में उल्लेख नहीं किया गया था।

18. अंत में, कथित मृत्युकालीन कथन का भी प्रथम सूचना प्रतिवेदन में उल्लेख नहीं है दूसरी ओर, प्रथम सूचना प्रतिवेदन में जोगिंदर सिंह का उल्लेख है, जिसने एक चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में केवल मृत्युकालीन कथन को साबित करने की प्रयास किया ।

.....

21. परिणामस्वरूप, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और भा.द.वि. की धारा 302/34 के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि और

दण्डादेश को अपास्त करते हैं। यदि अपीलार्थी भा.द.वि. की धारा 324 के तहत दी गई दण्ड को पहले ही भुगत चुका है, जैसा कि उसकी ओर से कहा गया है, तो उसे तुरंत रिहा कर दिया जाए।"

[जोर दिया गया]

45. इसलिए, हमारा दृढ़ विचार है कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र.P/2), जो हीरालाल हिडको (अ.सा.-1) को श्रीमती सुकमई हिडको (अ.सा.-2) द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर दर्ज किया गया था, में अभियुक्तों के नामों का लोप घातक है क्योंकि यह मामले की जड़ तक जाता है। उक्त लोप अभियोजन पक्ष के प्रकरण की विश्वसनीयता को पूर्णतः प्रभावित करती है।

46. एक बार जब साक्षी द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थी की पहचान का तथ्य श्रीमती सुकमई हिडको (अ.सा.-2) को विचार से हटा दिया जाता है, अपीलार्थी को अपराध से जोड़ने के लिए अभिलेख पर कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं बचता है।

47. अपराध दर्शाने वाली अन्य परिस्थिति उन रक्त के धब्बे वाली वस्तुओं की कथित बरामदगी है जिनके बारे में कहा गया है कि वे अभियुक्तों के प्रकटीकरण/मेमोरेण्डम कथनों के अनुसार किए गए थे। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, बरामद वस्तुओं में से कोई भी किसी विशेष रक्त समूह के लिए सकारात्मक नहीं पाया गया है, इसलिए इसे अपराध से जोड़ा नहीं जा सकता है।

48. परिणामस्वरूप हमारा दृढ़ विचार है कि विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन करते हुए अभियुक्त-अपीलार्थी को कथित अपराधों के लिए सिद्धदोष करने में तथ्यों के साथ-साथ विधि में भी गंभीर त्रुटियां की।

49. आक्षेपित निर्णय छानबीन में खरे नहीं उतरते हैं और उन्हें अपास्त कर दिया जाता है। अभियुक्त-अपीलार्थी को आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। यदि किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता नहीं है तो उसे अभिरक्षा से तुरंत रिहा कर दिया जाएगा।

50. तदानुसार अपील स्वीकार की जाती है।

51. लंबित आवेदन, यदि कोई हों तो, निराकृत होते हैं।

प्रकरण का परिणाम अपील स्वीकृत।

† द्वारा तैयार किए गए हेडनोट: अंकित ज्ञान

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।